राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–4737 / 2022

रामावतार बैरवा

–अपीलार्थी

<u>बनाम</u>

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, संस्कृत शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, राज. जयपुर।
2. निदेशक, संस्कृत शिक्षा, शिक्षा संकूल जयपुर।
3. प्रधानाध्यापक, राजकीय उच्च प्राथमिक संस्कृत विद्यालय, बुडला महाराजपुरा, लालसोट, जिला दौसा।
4. श्रीमती प्रेम मीणा, वरिष्ठ अध्यापक, संस्कृत, राजकीय उच्च प्राथमिक संस्कृत विद्यालय, बुड़ला महाराजपुरा, लालसोट, जिला दौसा।
5. गोपाल सिंह होदायली, महासचिव ब्लॉक कांग्रेस कमैटी चांदसैन लालसोट दौसा।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 10.11.2022

<u>उपस्थित –</u>

अपीलार्थी की ओर से : श्री नरेंद्र कुमार सैनी, अधिवक्ता

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
शुचि शर्मा, सदस्य

<u>आदेश</u>

1. मामलें की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करते हुए उक्त अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना पत्र पर सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता की ओर से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर गोपाल सिंह होदायली को पक्षकार प्रत्यर्थी संख्या 5 जोडे जाने की प्रार्थना की गई, जिन्हें प्रार्थना पत्र पर सुना गया।
3. प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है और गोपाल सिंह होदायली को पक्षकार प्रत्यर्थी संख्या 5 जोडा जाता है।
4. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता को अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना पत्र पर सुना गया। अपीलार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर संशोधित अपील प्रस्तुत की गई, जिसे भी रिकार्ड पर लिया गया।
5. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी वरिष्ठ अध्यापक संस्कृत के पद पर पदस्थापित है। आलोच्य आदेश दिनांक

11.09.2022 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण/पदस्थापन राजकीय उच्च प्राथमिक संस्कृत विद्यालय, बुडला महाराजपुरा लालसोट दौसा से राजकीय उच्च प्राथमिक संस्कृत विद्यालय गुढलिया दौसा में किया गया है।

6. उनका तर्क है कि पूर्व में आदेश दिनांक 10.02.2020 (अनुलग्नक–3) के द्वारा निजी प्रत्यर्थी का स्थानान्तरण राजकीय प्रवेशिका संस्कृत विद्यालय सुकलाव की ढाणी दौसा से राजकीय उच्च प्राथमिक संस्कृत विद्यालय औंसिया जोधपुर में किया गया था। उसके कुछ माह पश्चात् आदेश दिनांक 31.12.2020 (अनुलग्नक–4) के द्वारा निजी प्रत्यर्थी का स्थानान्तरण राजकीय उच्च प्राथमिक संस्कृत विद्यालय औंसिया जोधपुर से राजकीय उच्च प्राथमिक संस्कृत विद्यालय बुडला महाराजपुरा लालसोट दौसा में अपीलार्थी के स्थान पर किया गया और अपीलार्थी का स्थानान्तरण राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय गोलिया जैतमाल जिला बाडमेर में किया गया।

7. उनका तर्क है कि आदेश दिनांक 11.09.2022 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण/पदस्थापन राजकीय उच्च प्राथमिक संस्कृत विद्यालय बुडला महाराजपुरा लालसोट दौसा से राजकीय उच्च प्राथमिक संस्कृत विद्यालय बांस गुडलिया दौसा में रिक्त पद पर किया गया, जिसके एक दिन पश्चात् दिनांक 12.09.2022 (अनुलग्नक–2) के आदेश द्वारा अपीलार्थी का उक्त स्थानान्तरण निरस्त करते हुए अपीलार्थी को एपीओ किया गया। इसके पश्चात् दिनांक 24.09.2022 (अनुलग्नक–3) के आदेश द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण राजकीय उच्च प्राथमिक संस्कृत विद्यालय, टोरडी मालपुरा, टोंक में रिक्त पद पर किया गया है।

8. उनका तर्क है कि अपीलार्थी का स्थानान्तरण आदेश दिनांक 31.12.2020 के द्वारा राजकीय उच्च प्राथमिक संस्कृत विद्यालय, बुडला महाराजपुरा लालसोट दौसा से राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय, गोलिया, जैतमाल, जिला बाडमेर में किया गया, जिसे अपीलार्थी द्वारा अधिकरण में अपील प्रस्तुत कर चुनौती दी गई, जिसमें अधिकरण ने स्थगन आदेश पारित किया था, उसके पश्चात् से अपीलार्थी यथा राजकीय उच्च प्राथमिक संस्कृत विद्यालय बुडला

महाराजपुरा लालसोट दौसा में कार्यरत है। उक्त अपील संख्या 933/2021 का अधिकरण द्वारा निस्तारण किया जा चुका है। उनका तर्क है कि वर्तमान में निजी प्रत्यर्थी को उसी स्थान पर रखा गया है और अपीलार्थी को स्थानान्तरित किया गया है, जो उचित नहीं है। उनका यह भी तर्क है कि अपीलार्थी को नियमानुसार देय यात्रा भत्ता व योगकाल भी नहीं दिया गया है, जो विधि एवं नियमों के विरूद्ध है। अतः अपील ग्राह्य कर आलोच्य आदेश की क्रियान्विति को अपीलार्थी के सम्बन्ध में स्थगित किया जावे।

9. हमनें विद्वान् अधिवक्ता के तर्को पर मनन किया एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया।

10. अपीलार्थी को पूर्व में वर्तमान पदस्थापन स्थान राजकीय उच्च प्राथमिक संस्कृत विद्यालय बुडला महाराजपुरा लालसोट दौसा से राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय गोलिया जैतमाल जिला बाडमेर में स्थानान्तरित किये जाने का आदेश दिनांक 31.12.2020 को प्रत्यर्थी विभाग द्वारा पारित किया गया था परन्तु उक्त स्थानान्तरण आदेश को इस अधिकरण द्वारा स्थगित किये जाने के आधार पर अपीलार्थी राजकीय उच्च प्राथमिक संस्कृत विद्यालय बुडला महाराजपुरा लालसोट दौसा में ही पदस्थापित रहा है। उक्त अपील का निस्तारण किया जा चुका है। ऐसे में अब प्रत्यर्थी विभाग प्रशासनिक आवश्यकता एवं जनहित में अपीलार्थी का नियमानुसार स्थानान्तरण करने के लिए स्वतंत्र है। अपीलार्थी का स्थानांतरण सक्षम प्राधिकरण द्वारा जारी किया गया है, जिसमें किसी प्रकार के दुर्भावना या विधिक त्रुटि प्रकट नहीं होती है। इस कारण अधिकरण के स्तर पर किसी प्रकार के हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं है।

11. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं आधारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है, जिसे ग्राहय्ता के प्रक्रम पर ही एतद्द्वारा खारिज किया जाता है।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)